न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 22/2016, जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00101

1. समयसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. सुग्रीव पुत्र जुआनसिंह(मृतक)
   - 2/1 हरवीर पुत्र सुग्रीव
   - 2/2 सहावसिंह पुत्र सुग्रीव
   - 2/3 रामहरी पुत्र सुग्रीव
3. हुकमसिंह पुत्र हीरालाल
4. शिवराम पुत्र हीरालाल
5. भगवानसिंह पुत्र मनीराम
6. रूपसिंह पुत्र मनीराम

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान आडी हूडपुरा तहसील व जिला करौली, राज0।

अपी0

बनाम

Gu 15.9.21

1. महेंद्र पुत्र मांगीलाल
2. विजेन्द्र पुत्र मांगीलाल

जातियान गुर्जर निवासीयान आडी हूडपुरा तहसील व ज़िला करौली, राज0।

3. तहसीलदार करौली, लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 10/2013 निर्णय दिनांक 08.09.2015)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री लियाकत अली
2. रेस्पो0 की ओर से श्री महेंद्र पाल सिंह

निर्णय दिनांक 15.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:17 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) को मुकदमा नं0 10/2013 निर्णय दिनांक 08.09.2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के विरुद्ध की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपी0/ सायलान की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं.

Scanned with CamScanner

295 रकबा 4 विस्वा किस्म चाही 2, खसरा नं. 398 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा किस्म तीर 2, खसरा नं. 683 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा किस्म बारानी 2, खसरा नं. 715 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा किस्म बारानी 1 वाके हार आडी (हूडपुरा) तहसील व जिला करौली स्थित स्वर्गीय रामजीलाल पुत्र कमल गुर्जर निवासी आडी (हूडपुरा) के खातेदारी की रही है। खातेदार रामजीलाल अपी0/सायलान का ताऊ रहा है और कर्ता खानदान रहा है। रामजीलाल पुत्र कमल का दिनांक 22.03.2013 को स्वर्गवास हो गया है। मुताविक सजरा के अपी0/सायलान नं. 1 समयसिंह के परिवार का हिस्सा 1/4, अपी0/सायलान नं. 2 सुग्रीव के परिवार का हिस्सा 1/4, अपी0/सायलान नं. 3 व 4 हुकम सिंह व शिवराम पिसराम हीरालाल के परिवार का 1/4 व अपी0/सायलान नं. 5 व 6 भगवान सिंह व रूपसिंह पिसरान मनीराम का हिस्सा 1/4 तथा रेस्पों0/गैरसायलान के परिवार का हिस्सा 1/4 बनता है। इसी कम में स्वर्गीय रामजीलाल पुत्र कमल गुर्जर की खातेदारी की आराजीयात का बंटबारा किया जाना है। रामजीलाल पुत्र कमल ने अपने जीवनकाल में कोई गोद नहीं लिया और किसी के नाम कोई बसीयत भी तहरीर नहीं की है। रेस्पों0/गैरसायलान ने रामजीलाल के जीवित रहते हुये के समय किसी गोदनामा की बात नहीं बताई लेकिन रामजीलाल के स्वर्गवास होने के बाद रेस्पों0/गैरसायलान महेन्द्र एक छल कपट से तैयार किये गये गोदनामा के आधार पर स्वं. रामजीलाल का वारिस बन कर खातेदारी अपने नाम कराने के इरादे से तहसीलदार करौली से सम्पर्क बनाये हुये है। इसलिये तहसीलदार करौली को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि वह किसी दस्तावेज के आधार पर रेस्पों0/गैरसायलान के हक में नामान्तकरण नहीं खोले व रेस्पों0/गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि बंटबारा होने तक वर्णित आराजीयात को रहन व वय नहीं करे व अपीं0/सायलान तथा इनके परिवारजनों को काश्त से बेदखल नहीं करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। अपी0/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपीलांट/सायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। आराजी ख.नं. 295 रकबा 4 विस्वा, ख.नं. 398 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख.नं. 683 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 715

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 1 बीघा 3 विस्वा वाके हार आडी हूडपुरा तहसील करौली में स्थित है। उक्त विवादित भूमि स्वं. रामजीलाल पुत्र कमल गुर्जर निवासी आडी हूडपुरा की खातेदारी की थी। खातेदार स्वं. रामजीलाल अपीलांट का ताऊ तथा कर्ता खानदान था। रामजीलाल दिनांक 22.03.2013 को लाऔलाद फौत हो गया। अपी0 द्वारा प्रस्तुत मुताबिक सजरा रामजीलाल खातेदार के लाऔलाद फौत हो जाने के बाद मृतक रामजीलाल की भूमि पर अपी0 सं. 1 तथा अपी0 सं. 2/1 ल0 2/3 का 1/4 हिस्सा, अपी0 सं. 3 व 4 का 1/4 हिस्सा तथा अपी0 सं. 5 व 6 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पों0 1 व 2 के परिवार का 1/4 हिस्सा है। पक्षकारान इसी अनुसार मृतक रामजीलाल की मृत्यु के बाद काबिज काश्त है। खातेदार स्वं. रामजीलाल ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नहीं लिया ना ही अपनी भूमि की कोई बसीयत की परन्तु खातेदार रामजीलाल की मृत्यु के बाद रेस्पों. नं. 1 ने एक फर्जी गोदनामा तैयार कर लिया तथा उक्त गोदनामें के आधार पर अपने आपको मृतक रामजीलाल का वारिस बताकर मृतक रामजीलाल की भूमि को अपने नाम कराने तथा हडपने के फिराक में है जबकि मृतक रामजीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पों. नं. 1 को गोद नहीं लिया ना हीं कोई गोदनामा लिखा। रेस्पों. नं. 1 ने फर्जी गोदनामा भूमि हडपने के लिए तैयार किया है जिससे उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपी0 को फर्जी गोदनामें की जानकारी उक्त प्रकरण में जबाव प्रस्तुत करने पर हुई। अविलम्ब उक्त गोदनामें को निरस्त कराने तथा घोषणा बाबत् एक दावा माननीय जिला न्यायाधीश करौली के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जो जेरकार है। इस प्रकार उक्त गोदनामा विवादित है जिसका निर्णय न्यायालय में होना है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गोदनामें के आधार पर अपी0 का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट खारिज करने में भारी भूल की है। मृतक रामजीलाल की भूमि पर अपी0 अपने हिस्से के मुताबिक आज तक काबिज काश्त है। जब तक न्यायालय से गोदनामें बाबत् निर्णय नहीं हो जाता तब तक रेस्पों. का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपी0 का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित तथा सुविधा का सन्तुलन भी अपी0 के पक्ष में था एवं अपूर्णीय क्षति साबित थी। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व रूप से अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित गोदनामें को चुनौती नहीं देने का तथ्य कतई गलत अंकित किया है तथा कब्जा नहीं होना बाबत् तथ्य भी गलत अंकित किया है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय इम्प्रोपर एवं इल्लीगल [illegible] काबिले खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ [illegible] करमावे।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक [illegible] तर्कों का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पों. सं. 01 के गो[illegible]ता रामजीलाल पुत्र कमल गुर्जर निवासी ग्राम आडी हूडपुरा तहसील करौली ताजिन्दगी अविवाहित रहे थे। इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उन्होंने रेस्पों. सं. 01 को मिति वैसाख सुदी 3 सम्बत् 2052 मुताबिक तारीख 02 मई 1995 को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। रेस्पों. सं. 1 के पिता मांगीलाल पुत्र हरीले जाति गुर्जर निवासी आडी हूडपुरा तहसील करौली ने "जो मेरे उक्त गोदपिता रामजीलाल के खास चचेरे भाई थे" रेस्पों. सं. 1 को रेस्पों. सं. 1 की माता किस्तूरी धर्म पत्नि मांगीलाल की सहमति से रेस्पों. सं. 1 के गोदपिता रामजीलाल को बतौर गोदपुत्र गोद देकर रामजीलाल की गोद में बैठा दिया और रेस्पों. सं. 1 के गोदपिता रामजीलाल ने रेस्पों. सं. 1 को अपने गोदपुत्र के रूप में हिन्दू धर्म के रीति रिवाज एवम् विधि अनुसार गांव के भाई बन्धुओं व रिश्तेदारों के समक्ष गोद ले लिया। तभी से रेस्पों. सं. 1 अपने उक्त गोदपिता रामजीलाल का दत्तक पुत्र जाना व माना जाता आ रहा है। रेस्पों. सं. 1 गोद के बाद से ही अपने गोद पिता रामजीलाल के पास ही रहता चला आ रहा है। रेस्पों. सं. 1 के गोदपिता ने रेस्पों. सं.1 की पढाई लिखाई का खर्चा उठाया एवं रेस्पों. सं. 1 की शादी भी उक्त गोदपिता ने ही करवाई। रेस्पों. सं. 1 के माता–पिता व उक्त गोदपिता ने भविष्य में इस गोद बाबत् कोई विवाद नहीं करे इसलिए दिनांक 13.06.2007 को तीन किता स्टाम्पस कुल तादादी 120 रूपये स्वंय स्टाम्प विक्रेता करौली से खरीद कर दिनांक 13.06.2007 को अपने वकील से रेस्पों. के हक में गोदपुत्र ड्राफ्ट टाइप कराकर इस गोदपत्र को सुनकर व समझकर इस गोदपत्र में रेस्पों. सं. 1 को वैसाखशुदी 3 सम्बत् 2052 को रेस्पों. सं. 1 की 10 साल की आयु में विधि अनुसार बतौर गोदपुत्र गोद लेना स्वीकार कर इस गोदपत्र पर अपनी निशानीयां रोबरू वकील एवं रोबरू दो गवाहान सरूपसिंह पुत्र नारायण गुर्जर निवासी आडीहूडपुरा एवं रामप्रसाद पुत्र फैली मीना निवासी शकरपुर के समक्ष करके इस गोदनामा का निष्पादन किया है। दिनांक 13.06.2007 को ही गोदनामा सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष पेश होकर गोददाता व गोदग्रहणकर्ता को सुनाकर व सही स्वीकार करने पर नियमानुसार दिनांक 13.06.2007 को तस्दीक किया जाकर पंजीबद्व किया गया है, जिसकी जानकारी अपी0 व अपी0 के भाइयों को वख्त पंजीयन गोदनामा दिनांक 13.06.2007 से रही है। रेस्पों. सं. 1 के उक्त गोदपिता रामजीलाल की मृत्यु दिनांक 22.03.2013 को हो चुकी है। रेस्पों. सं. 1 ने ही अपने गोदपिता रामजीलाल की मृत्यु पर इनका बतोर गोदपुत्र दाहसंस्कार किया। रेस्पों. सं. 1 के गोदपिता की मृत्यु उपरान्त उक्त विवादित कृषि भूमि में अपने गोदपिता के जो भी खातेदारी अधिकार थे उन्हें अपने गोदपिता के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से उनकी मृत्यु उपरान्त प्राप्त हो चुके है, और उक्त विवादित आराजी के समस्त खातेदारी अधिकार रेस्पों. सं. 1 में बजरिए ऑपरेशन ऑफ लॉ निहित हो चुके है। उक्त गोदपिता साबिक खातेदार की मृत्यु उपरान्त हल्का पटवारी ने विधि अनुसार रेस्पों. सं. 1 के नाम विवादित भूमि की खातेदारी इन्तकाल बदलने का नामान्तकरण भरकर सम्बंधित ग्राम पंचायत सेंगरपुरा में पेश कर दिया लेकिन अपी0 ने बदयान्ति से रेस्पों. सं. 1 से जमीन से हडपने के विचार से मौजूदा सरपंच को अपनी तरफ कर लिया है जिससे

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:17 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तस्दीक नामान्तकरण कार्यवाही को तीन महिने से अपी0 से मिलकर रोक रखा है। इस प्रकार अपी0 के न तो कोई किसी प्रकार के संयुक्त खातेदारी अधिकार है न ही उनका किसी प्रकार का कोई संयुक्त कब्जा है बल्कि रेस्पों. सं. 1 ही कानूनी रूप से एकमात्र खातेदार की हैसियत से काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपी0 द्वारा अपील मीमों के मद सं. 4 में कथन किया है कि ''खातेदार स्वर्गीय रामजीलाल ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नहीं लिया'' पत्रावली पर रामजीलाल पुत्र कमल सिंह द्वारा दिनांक 13.06.2007 को पंजीकृत गोदपत्र करवाया गया, उपलब्ध है। इस गोदनामा के विपरीत कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुरूप है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 10/2013 निर्णय दिनांक 08.09.2015 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(... रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner